GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 4127
TO BE ANSWERED ON 24th March, 2023

ARREAR OF ONE RANK ONE PENSION

4127. SHRI A. RAJA:
SHRI A. GANESHAMURTHI:
SHRI SUBBARAYAN K.:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Government has paid arrears of one rank one pension to the eligible pensioners of Armed forces;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether ex-servicemen objected to the payment of arrears in installments contrary to the direction given by the Supreme Court; and

(d) if so, the details thereof along with the status of payment of arrears in this regard?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) & (b): Yes, Sir. The payment of arrears of OROP to eligible pensioners of Armed Forces is in progress as per policy of the Government. So far Rs. 5065.70 crore have been paid as arrear of OROP to eligible pensioners of Armed Forces as on 13.03.2023.

(c) & (d): A Miscellaneous Application No. 219/2023 in Writ Petition (Civil) No.419/2016 was filed in the Hon'ble Supreme Court by Indian Ex-Servicemen Movement (an All India Federation of Military Veterans Organisation). Government has filed an affidavit in Hon'ble Supreme Court seeking extension of time for the payment of arrears of OROP. The matter was heard on 20.03.2023 and decision of the Supreme Court is awaited.

*****

https://www.govtstaff.com

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4127
24 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

एक रैंक-एक पेंशन की बकाया राशि

4127.श्री ए.राजा:
श्री ए.गणेशमूर्ति:
श्री के. सुब्बारायणः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों को एक रैंक-एक पेंशन की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूतपूर्व सैनिकों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत किस्तों में बकाया राशि के भुगतान पर आपत्ति जताई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में बकाया राशि के भुगतान की स्थिति क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार की नीति के अनुसार सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों को एक रैंक-एक पेंशन की बकाया राशि का भुगतान प्रगति पर है । सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों को एक रैंक-एक पेंशन के बकाया के रूप में दिनांक 13.03.2023 तक 5065.70 करोड़ रू. का भुगतान किया जा चुका है ।

https://www.govtstaff.com

(ग) और (घ): इंडियन एक्स-सर्विसमेन मूवमेंट (मिलिट्री वेटरंस संगठन का एक अखिल भारतीय संघ) द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं. 419/2016 में एक प्रकीर्ण आवेदन सं. 219/2023 दाखिल किया गया था । सरकार ने ओआरओपी की बकाया राशि के भुगतान के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । इस मामले की सुनवाई दिनांक 20.03.2023 को हुई थी और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

******

https://www.govtstaff.com